75

त्रि03
III/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/1791

न्यायालय ~~श्रीमान अध्यक्ष महोदय~~ म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र.क्र. / 2017 निगरानी

श्री .... द्वारा आज दि. 16-6-017 को प्रस्तुत

रीडर ऑफ कोर्ट ... ग्वालियर 16/6/17

मुन्ना लाल पुत्र रामसेवक जाति ब्रम्हाण्ड निवासी फरदुआ तहसील लहार जिला भिण्ड (म.प्र.) .... आवेदक

विरूद्ध

1. दिलीप कुमार पुत्र राजेश कुमार
2. अनूप कुमार पुत्र राजेश कुमार
3. राजेश कुमार पुत्र रामसेवक सभी जाति व्रा0 निवासीगण फरदुआ परगना लहार जिला भिण्ड म.प्र. ....

असल अनावेदकगण

4. रामबाबू पुत्र श्री रामसेवक
5. भगवती पुत्र श्री रामसेवक
   जाति व्रा0 निवासी ग्राम फरदुआ परगना लहार जिला भिण्ड ....

तरतीवी अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चबंल सभाग मुरैना के प्र.क्र. 174/2016-17 अपील माल मे पारित आदेश दिनांक 30-03-2017 अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी ,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक III / निगरानी / भिण्ड / भू–रा0 / 2017 / 1791

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–8–2017	प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के आदेश दिनांक 30–3–17 के विरूद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की अपील को इस आधार पर निरस्त किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मुरैन के आदेश दिनांक 14–12–2016 की जानकारी होने के बावजूदी भी नकल हेतु आवेदन दिनांक 13–2–2017 को दिया तथा जब उसी दिन नकल प्राप्त हो गयी थी तब भी आवेदक द्वारा विलम्ब से अपील दिनांक 28–3–2017 को प्रस्तुत की गई है। इसी कारण अपर आयुक्त ने जानकारी के बावजूद भी समयबाधित अपील प्रस्तुत करने से अपील को अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की है। अपर आयुक्त द्वारा विस्तार से विवेचना कर अपील को अवधि बाह्य माना है। दिन प्रतिदिन विलम्ब का समाधानकारक कारण दर्शाये जाने पर ही विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी अधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	